पत्रांकः–भवन/बजट–96–योजना–(गन्ना उद्योग विभाग)–01/2025–26......2543(अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः– 13/03/26

विषयः– गन्ना उद्योग विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **₹ 26,48,384/– (छब्बीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौरासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न् विवरणीनुसार कुल **₹ 26,48,384/– (छब्बीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौरासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना	30113	S/R with addition & alteration to E.I. in Room No.-219 & 220 of Sugarcane Industries Department at 2nd floor, Vikash Bhawan, Patna	331/ 27.08.25	11,94,847/– (ग्यारह लाख चौरानवे हजार आठ सौ सैतालीस रूपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना	30114	Computer Networking wiring. Telephone wiring and SITC of split AC in Room No-219 & 220 of Sugarcane Industries Department at 2nd floor, Vikash Bhawan, Patna	331/ 27.08.25	14,53,537/– (चौदह लाख तिरेपन हजार पॉच सौ सैंतीस रूपये)
			कुल		**26,48,384/–**

(छब्बीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौरासी रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0021–गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, **विपत्र कोड–03.2059010530021** के विषयशीर्ष–27–लधु कार्य–0021.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत अन्तर्गत उपबंधित राशि से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

13/3/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।